

अनुबंध 8.3
व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

1. राज्य सरकार के लेखे निम्नलिखित तीन भागों में रखे जाते हैं :-

भाग I
समेकित निधि

भाग II
आकस्मिकता निधि

भाग III
लोक लेखा
2. समेकित निधि :- भाग I में (समेकित निधि, जिसका विषय-क्षेत्र संविधान के अनुच्छेद 266(1) में परिभाषित किया गया है) तीन मुख्य प्रभाग होते हैं, यथा :-
 - i. राजस्व
 - ii. पूँजी, और
 - iii. कर्ज (जिसमें लोक ऋण, ऋण एवं अग्रिम और अंतर-राज्य निपटान समाविष्ट होते हैं)
3. पहला प्रभाग, जिसे 'राजस्व लेखा' के रूप में जाना जाता है, कराधान से प्राप्तियों और राजस्व के रूप में वर्गीकृत अन्य प्राप्तियों से तथा उसमें से किये गये व्यय से संबंध रखता है, जिसका निवल परिणाम या तो वर्ष के लिए अधिशेष या घाटा होता है।
4. दूसरा प्रभाग, जिसे 'राजस्व लेखा के बाहर पूँजीगत व्यय' के रूप में जाना जाता है, उस व्यय से संबंध रखता है, जो सामान्यतः उधार ली गयी निधियों से सारभूत लक्षणों वाली आस्तियों का सृजन किये जाने के मुख्य उद्देश्य के साथ किया जाता है। इसमें पूँजीगत स्वरूप की वे प्राप्तियाँ भी शामिल होती हैं, जो पूँजीगत व्यय के समायोजन के रूप में प्रयोग किये जाने के लिए अभिप्रेत होती हैं।
5. तीसरे प्रभाग में समाविष्ट होते हैं केंद्र सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम तथा राज्य सरकार द्वारा जुटाये गये ऋण, जिन्हें राज्य सरकार के आंतरिक कर्ज के रूप में वर्गीकृत किया जाता है (यथा, बाजार ऋण, अर्थोपाय अग्रिम और अन्य ऋण) और सरकार द्वारा किये गये ऋण एवं अग्रिम, पहले की चुकौती और बाद वाले की वसूली के साथ। राज्यों के पुनर्गठन के बाद से होने वाले अंतर-राज्य निपटान लेनदेनों को भी इस प्रभाग में शामिल किया जाता है।
6. आकस्मिकता निधि :- लेखा के भाग II में महाराष्ट्र सरकार द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अंतर्गत गठित आकस्मिकता निधि से सुड़े लेनदेनों को रिकार्ड किया जाता है। यह निधि अग्रदाय के स्वरूप की होती है और कार्यपालक सरकार को अदृष्ट और अत्यावश्यक खर्च, उनके विधानमंडल द्वारा कानूनी रूप से अधिकृत किये जाने तक, को पूरा करने में सक्षम बनाती है। इस निधि से निकाली गयी राशि को विधानमंडल से अनुपूरक अनुदान प्राप्त कर पूरा किया जाता है।
7. लोक लेखा :- लेखा के भाग III में (लोक लेखा, जिसका विषय-क्षेत्र संविधान के अनुच्छेद 266(2) में परिभाषित किया गया है) दो मुख्य प्रभाग होते हैं, यथा,
 - (1) भविष्य निधि, आरक्षित निधि से संबंधित कर्ज संबंधी लेनदेन, जो भाग I में शामिल किये गये लेनदेनों से भिन्न होते हैं, और जमाराशियाँ तथा अग्रिम, और

अनुबंध 8.3 व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ (जारी)

- (2) विप्रेषण
8. पहले प्रभाग में समाविष्ट होते हैं प्राप्तियाँ और भुगतान, जो भाग I से संबंधित ऋण शीर्षों के अंतर्गत आते हैं, जिनके संबंध में सरकार की देयता होती है कि वह प्राप्त धन की चुकौती करे या उसका दावा होता है कि दी गयी राशि को वसूल करे, जिसके साथ पहले की चुकौती और बाद वाले की वसूली की जानी होती है। दूसरे प्रभाग में केवल समायोजन शीर्ष होते हैं, जिनके अंतर्गत कोषागारों के बीच नकदी का विप्रेषण और विभिन्न लेखा सर्कलों के बीच अंतरण का उल्लेख किया जाता है। इस प्रभाग में लेखा शीर्षों में प्रारंभिक जमा या नामे को अंततः तदनुकूल प्राप्तियों या भुगतानों से, जो या तो उसी लेखा सर्कल के भीतर होते हैं या किसी दूसरे लेखा सर्कल में होते हैं, समाशोधित कर दिया जाता है।
9. बजट साहित्य में और इस प्रकाशन में भी प्रयुक्त विभिन्न पदों को संक्षेप में निम्नलिखित पैराग्राफों में परिभाषित किया गया है।
10. राज्य सरकार का आंतरिक कर्ज :- इसमें समाविष्ट होते हैं बाजार ऋण, अर्थोपाय अग्रिम और अन्य ऋण।
11. बाजार ऋण :- इसमें सामान्यतः वे ऋण शामिल होते हैं, जो खुले बाजार से जुटाये जाते हैं और जिनकी वैधता अवधि बारह महीनों से अधिक होती है।
12. अर्थोपाय अग्रिम :- इस मद में शामिल होते हैं नितान्त अस्थायी स्वरूप के उधार, जो बारह महीनों के भीतर चुकौती योग्य होते हैं, यथा, भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम।
13. अन्य ऋण :- यह (क) भारतीय रिजर्व बैंक के राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घावधि प्रवर्तन) निधि, (ख) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, (ग) भारतीय डेरी विकास निगम, (घ) भारतीय जीवन बीमा निगम, (ङ) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, आदि से ऋणों को विनिर्दिष्ट करता है।
14. भविष्य निधि और अन्य लेखा :- इस शीर्ष में सरकार के पास जमा की गयी निधियों के संबंध में सरकार का ब्याज संबंधी दायित्व शामिल होता है (उदाहरणार्थ, राज्य भविष्य निधि, अन्य भविष्य निधियाँ, बीमा निधि, आदि)।
15. नकदी शेष निवेश लेखा :- इस शीर्ष के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा अपने नकदी शेष का निवेश अल्पावधि या दीर्घावधि प्रतिभूतियों और ऋणों में, अर्थात् भारत सरकार के खजाना बिलों और भारत सरकार की प्रतिभूतियों या अन्य राज्य सरकारों के ऋणों में, किये जाने से संबंधित लेनदेनों को रिकार्ड किया जाता है। ऐसे निवेशों से प्राप्त आय को राजस्व खंड में लेखाशीर्ष '0049, ब्याज प्राप्तियाँ' में जमा किया जाता है। इस शीर्ष के संवितरण पक्ष में वर्ष के दौरान अल्प या दीर्घ अवधि के लिए निवेश की गयी कुल राशि और प्राप्त पक्ष में परिपक्व होने पर वसूली गयी कुल राशि (घटाव उस पर अर्जित बट्टा या प्राप्त ब्याज) उल्लिखित होती है।
16. निधियों का अंतरण :- इसके अंतर्गत निधियों में अंतरित की गयी राशि और विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत राजस्व व्यय के रूप में मानी गयी राशि को शामिल किया जाता है। इस प्रकार शामिल की गयी कुछ निधियाँ हैं (1) शिक्षा उपकर निधि, (2) राज्य विद्युत निधि, (3) राज्य

अनुबंध 8.3
व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ (जारी)

सड़क निधि, (4) रोजगार गारंटी निधि, (5) राज्य स्वास्थ्य एवं पोषण निधि, आदि ।

17. कर राजस्व* :- कर राजस्व को कर के स्वरूप के अनुसार निम्नलिखित तीन समूहों में विभाजित किया जाता है :

(क) आय और व्यय पर करों में शामिल होते हैं निगम कर से भिन्न आय (0021), कृषि आय पर कर (0022) और आय एवं व्यय पर अन्य कर (0028)।

(ख) संपत्ति और पूँजीगत लेनदेनों पर करों में शामिल होते हैं भू-राजस्व (0029), स्टाम्प और पंजीयन फीस (0030), संपदा शुल्क (0031) और कृषि भूमि से भिन्न अचल संपत्ति पर कर (0035)।

(ग) वस्तुओं और सेवाओं पर करों में शामिल होते हैं राज्य उत्पाद शुल्क (0039), बिक्री कर (0040), वाहनों पर कर (0041), सामान और यात्री पर कर (0042), बिजली पर कर और शुल्क (0043) तथा अन्य कर : और वस्तुओं और सेवाओं पर शुल्क (0045)। संघ के उत्पाद शुल्क में राज्य के हिस्से को (1603) कर राजस्व के रूप में माना जाता है ।

18. करेतर राजस्व :- इस समूह में शामिल हैं ब्याज प्राप्तियाँ (0049), लाभांश और लाभ (0050) और सामान्य सेवाओं तथा सामाजिक सेवाओं एवं आर्थिक सेवाओं के संबंध में विविध प्राप्तियाँ और केंद्र सरकार से सहायता अनुदान (1601)।

19. विकास और विकासेतर व्यय :- सरकारी व्यय को प्रस्तुत किये जाने की एक सामान्य पद्धति होती है इसे दो कोटियों में वर्गीकृत करना, यथा

विकास व्यय और विकासेतर व्यय । ऋण की चुकौती के संबंध में किये गये व्यय को अलग से दर्शाया जाता है और इसे विकास या विकासेतर व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है ।

20. विकास व्यय को मोटे तौर पर परिभाषित करते हुए इसमें व्यय की उन सभी मदों को शामिल करना होता है, जिनकी डिजाइन सीधे आर्थिक विकास और समाज कल्याण का संवर्धन करने के लिए बनायी जाती है । इस प्रकाशन में, राजस्व लेखा के संबंध में विकास व्यय का अनुमान लगाते समय सामाजिक सेवाओं और आर्थिक सेवाओं, जिसमें सेक्रेटरियट सामाजिक सेवा (2251) और सेक्रेटरियट आर्थिक सेवाओं (3451) को शामिल नहीं किया गया है, के समूह के अंतर्गत बजट शीर्षों पर व्यय को विकास व्यय के रूप में माना गया है । राजकोषीय सेवाओं के अंतर्गत बजट शीर्ष के माध्यम से प्रावधान किये गये विकास-कार्यकलापों पर खर्च की गयी विकास निधि में अंतरण को विकास व्यय के रूप में माना जाता है और यहाँ उन्हें युक्तियुक्त समूह शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है । सामाजिक सेवाओं और आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत शामिल किये गये बजट शीर्ष नीचे दिये गये हैं ।

21. सामाजिक सेवाएं : इस क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित उप-क्षेत्रों के अंतर्गत किये गये व्यय शामिल किये जाते हैं । ये हैं (i) लोक निर्माण (2059), (ii) शिक्षा, खेल-कूद, कला और संस्कृति (2202 से 2205), (iii) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (2210 और 2211), (iv) जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास (2215 से 2217), (v) सूचना एवं प्रसार (2220 से 2221), (vi) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों

अनुबंध 8.3
व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ (जारी)

- का कल्याण (2225), (vii) श्रमिक एवं श्रमिक कल्याण (2230), (viii) समाज कल्याण एवं पोषण (2235, 2236 और 2245) और (ix) अन्य सामाजिक सेवाएँ (2252)।
22. आर्थिक सेवाएँ :- आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत आर्थिक विकास के लिए अभिप्रेत कार्यकलाप और सेवाएँ शामिल की जाती हैं। इन्हें निम्नलिखित उप-क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है (i) कृषि और संबद्ध कार्यकलाप (2401 से 2435), (ii) ग्रामीण विकास (2501, 2505, 2506 और 2515), (iii) विशेष क्षेत्र कार्यक्रम (2575), (iv) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण (2701, 2702, 2705 और 2711), (v) ऊर्जा (2801 और 2810), (vi) उद्योग और खनिज (2851 से 2853, 2875 और 2885), (vii) परिवहन (3001, 3051 से 3056 और 3075), (viii) संचार (3275), (ix) विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण (3402 से 3435) और (x) सामान्य आर्थिक सेवाएँ, जिनमें सेक्रेटरियट आर्थिक सेवाएँ शामिल नहीं हैं (3452, 3454, 3456 और 3475)।
23. विकासेतर व्यय :- इसमें शामिल हैं सामान्य सेवाओं के अंतर्गत उल्लिखित व्यय, सिवाय लोक निर्माण व्यय (2059) के। इसमें सरकार द्वारा दी गयी सामान्य सेवाओं, यथा, कानून और व्यवस्था बनाये रखने, देश की रक्षा और सरकार के सामान्य अंगों को बनाये रखने से संबंधित व्यय शामिल हैं। इसमें निम्नलिखित उप-क्षेत्रों को शामिल किया गया है।
24. राज्य के अंग :- इसमें निम्नलिखित बजट शीर्ष शामिल हैं : राज्य विधान मंडल (2011), राज्यपाल (2012), मंत्रि परिषद (2013), न्याय का प्रशासन (2014) और निर्वाचन (2015)।
25. राजकोषीय सेवाएँ :- इसमें कर-वसूली से संबंधित व्यय शामिल हैं, जिसे कर के स्वरूप के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है, यथा, (i) आय और व्यय पर करों की वसूली (2020), (ii) संपत्ति और पूँजीगत लेनदेनों पर करों की वसूली, उदाहरणार्थ, भू-राजस्व, स्टाम्प और पंजीयन और संपत्ति एवं पूँजीगत लेनदेनों पर अन्य करों की वसूली (बजट शीर्ष क्रमशः 2029, 2030 और 2035) और (iii) वस्तुओं और सेवाओं पर करों की वसूली, उदाहरणार्थ, राज्य उत्पाद शुल्क (2039), बिक्री कर (2040), वाहनों पर कर (2041) तथा वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क (2045)। विकास निधि में अंतरण को छोड़ दिया जाता है और अन्य राजकोषीय सेवाओं (2047) के अंतर्गत व्यय को शामिल किया जाता है।
26. प्रशासनिक सेवाएँ :- इसमें बजट शीर्ष 2051 से 2058 और 2070 शामिल किये जाते हैं, जो सरकार द्वारा दी गयी कानून और अन्य सामान्य सेवाओं से संबंधित होते हैं और इसमें लोक सेवा आयोग, सचिवालय सामान्य सेवाएँ, जिला प्रशासन, कोषागार एवं लेखा प्रशासन, पुलिस, जेल, पूर्ति एवं निपटान, लेखनसामग्री एवं मुद्रण और अन्य प्रशासनिक सेवाएँ शामिल की जाती हैं।
27. पेंशन और विविध सामान्य सेवाएँ :- इसमें पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ (2071) और विविध सामान्य सेवाएँ (2075) शामिल की जाती हैं।
28. अन्य विकासेतर व्यय :- इसमें सेक्रेटरियट सामाजिक सेवाएँ (2251), सेक्रेटरियट आर्थिक सेवाएँ (3451), स्थानीय निकायों और पंचायती संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन (3604) और सामग्री एवं उपकरण (3606) शामिल हैं।

अनुबंध 8.3 व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ (समाप्त)

29. कर्ज चुकौती :- इस मद के अंतर्गत विभिन्न ऋणों पर ब्याज प्रभारों के खर्च और ऋण प्रबंध से जुड़े हुए अन्य विविध प्रभारों, ऋण शोधन निधियों में अंशदान और 'अन्य विनियोजनों', आदि को शामिल किया जाता है। बजट शीर्ष 2048 और 2049 के अंतर्गत व्यय को यहाँ शामिल किया जाता है। इस व्यय को विकास या विकासेतर व्यय के रूप में नहीं माना जाता है, लेकिन उसे अलग से दर्शाया जाता है।
30. राजस्व लेखा के बाहर पूँजीगत व्यय के लिए, सभी मदों के संबंध में व्यय, सिवाय निम्नलिखित मदों के संबंध में, को विकास व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जिन शीर्षों को शामिल नहीं किया जाता है, वे हैं: आकस्मिकता निधि में विनियोजन (7999) और मुद्रण एवं लेखन सामग्री पर पूँजीगत परिव्यय (4058) और अन्य प्रशासनिक सेवाएँ (4070)